(अनुबन्ध संख्या)

संख्या–1737 / 24–1–10–1193 / 2008

प्रेषक,

मो0 मारूफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : / जून, 2010

विषय:–वित्तीय वर्ष 2010–11 में उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन को पारेषण कार्यों हेतु अंशपूँजी मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, वित्त, उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या–479–मु0म0प्र0(ले0 एवं सं0) / विप्र–2, दिनांक 22.05.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उ0प्र0 पावर ट्रानमिशन कारपोरेशन लि0 को पारेषण कार्यों हेतु अंशपूँजी के मद में वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्राविधानित धनराशि रू0 5,00,00,00,000 / –(रूपये पॉच सौ करोड़ मात्र) में से रू0 2,50,00,00,000 / – (रूपये दो सौ पचास करोड़ मात्र) को स्वीकृत एवं व्यय किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2– उक्त प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण पॉच समान किश्तों में माह जून, 2010 से माह अक्टूबर, 2010 तक किया जायेगा।

3– उक्त प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

4– प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 के प्रपत्र संख्या–42जी / शुद्ध पत्र संख्या–426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा बिल को प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन को विशेष सचिव अथवा सचिव अथवा प्रमुख सचिव को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय–समय पर व्यय की गई धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहॉ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

6– इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत–05–संचरण तथा वितरण –190–सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश–07–उत्तर प्रदेश पावर ट्रानसमिशन कारपोरेशन लि0 को पारेषण कार्यों हेतु अंशपूँजी –30–निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–10–यू0ओ0–112/दस–2010, दिनांक 31 मई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( मो0 मारूफ )
अनु सचिव।

संख्या–1737(1)/24–1–10 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 प्रथम (एल0ए0 सेक्शन–3), इलाहाबाद।
2– मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–10/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–4
4– राज्य योजना आयोग–1
5– संबंधित सहायक/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( मो0 मारूफ )
अनु सचिव।